पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1667
दिनांक- 14.07.2025

जोन-मध्य/ थाना आलमबाग

- **03 गुमशुदा मोबाईल फोन (कीमत करीब 57,399/- रुपये) बरामद।**
- **बरामद मोबाइल फोन को उनके वास्तविक धारकों के किया गया सुपुर्द ।**
- **थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा लोगों के खोये मोबाइल फोन किये गये बरामद ।**

संक्षिप्त विवरण :–

श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार नागरिकों के खोये हुये मोबाईल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आलमबाग लखनऊ के CEIR पोर्टल पर गुम हुये मोबाईल गुमशुदगी के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सर्विलांस पर लगाकर बरामद किये जाने हेतु पुलिस उपायुक्त, मध्य द्वारा निर्देशित किया गया था ।

उक्त के क्रम मे थाना आलमबाग लखनऊ के **CEIR पोर्टल** पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु श्री अभय प्रताप मल्ल सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट लखनऊ व निरीक्षक सुभाष चन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना आलमबाग लखनऊ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण कर मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मोबाईल धारकों को सुपुर्द किया गया।

अपने खोये हुये मोबाईल फोन को प्राप्त कर मोबाइल धारकों द्वारा पुलिस की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया ।

बरामदगी :-

1. समसंग गैलेक्सी A14 6/128 कीमत लगभग-16,999/- रूपये
2. समसंग गैलेक्सी A04S कीमत लगभग-12500/- रूपये
3. रियलमी 13 प्रो+5G कीमत लगभग-27999/-

बरामद करने वाली पुलिस टीम :–

1. प्र0नि0 सुभाष चन्द्र थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि0 पंकज कुमार थाना आलमबाग लखनऊ
3. कम्प्यू0 आपरेटर जयराम पाल थाना आलमबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1666
दिनांक-14.07.2025

जोन-पूर्वी/ थाना-विकासनगर

थाना विकासनगर पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता: 10-10 हज़ार रुपये के इनामी दो वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित वाँछित अभियुक्त रोहित कनौजिया उर्फ रोहित गणेश कुमार को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियोग का एक अन्य 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित वाँछित अभियुक्त अंकुल वर्मा को गिरफ्तार करने में मिली सफलता।**

01-कार्यवाहीः-

थानाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह द्वारा उच्चाधिकारीगण से अनुमोदन के उपरान्त दिनाँक 21.06.2025 को गैंगलीडर राज प्रताप सिंह उर्फ बाबू छपरी व गैंग सदस्य इन्द्र कुमार, शव्य श्रीवास्तव उर्फ राहुल श्रीवास्तव उर्फ राहुल बाबा, अंकुल वर्मा एवं रोहित कनौजिया के विरूद्ध अपराध संख्या 85/2025 धारा 2(ख)(एक)(ग्यारह)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना विकासनगर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियोग उपरोक्त में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित वाँछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था।

जिसके क्रम में थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनाँक 13.07.2025 को **अंकुल वर्मा** उम्र लगभग -28 वर्ष पुत्र ज्वाला प्रसाद नि0 ग्राम कबीरपुर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को फैजाबाद रोड-किसान पथ इन्दिरा नहर पुल के ऊपर सड़क किनारे थाना क्षेत्र बीबीडी, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा 10,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित वाँछित अभियुक्त **रोहित कनौजिया उर्फ रोहित गणेश कुमार** उम्र करीब – 32 वर्ष पुत्र गनेश प्रसाद उर्फ गणेश कुमार नि0 सठवारा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अलीगंज मे स्थित वासले ड्राई क्लीनिंग शाप निकट अल्कापुरी तिराहा से दिनाँक 14.07.2025 को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1664

दिनांक–14-07-2025

जोन - दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गैंगेस्टर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी की एक अदद स्कूटी बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध लखनऊ के विभिन्न थानों व अन्य जनपदों में चोरी व धोखाधड़ी के डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।**
- **थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरण-

पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी लखनऊ, अपर पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के अनुपालन में सहायक पुलिस आयुक्त, कृष्णानगर लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा रैकी कर वाहन चोरी करने वाला 01 नफर शातिर अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-11.07.2025 को वादी मुकदमा आशीष कुमार कुशवाहा पुत्र इन्द्रदेव कुशवाहा निवासी कृष्णापल्ली आलमबाग लखनऊ की तहरीरी सूचना पर **मु0अ0सं0-333/2025 धारा 303(2) भा0न्या0सं0** जनपद लखनऊ बनाम अज्ञात व्यक्ति, बावत अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 10.07.2025 की शाम समय 20.30 बजे वादी मुकदमा की एक्टिवा स्कूटी रंग ग्रे नं0 UP 32 MR 8090 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया है।

मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण हेतु **02 टीमें गठित की गयी**, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, CDR एवं ग्राउण्ड सूचना की सहायता से चोरी करने वाला 01 नफर अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी कर आज दिनांक 14.07.2025 को समय 03.20 बजे लोकबन्धु हास्पिटल से स्काई हिल्टन जाने वाले मार्ग से हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त संत्यम गुप्ता उर्फ बांगडू ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 10.07.2025 को समय करीब 08.00 रात्रि बजे मैंने यह स्कूटी कृष्णापल्ली से चोरी की थी, जिसको लेकर अपने घर आशियाना जा रहा था कि स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं धकेलते हुए लेकर जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया ।

03-माड्यूस आपरेंडी-

अभियुक्त सत्युम गुप्ता उर्फ बांगडू द्वारा घूम घूम कर रैकी कर करना, एकान्त में खडे वाहनों की चोरी करना ।

05-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-333/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) भा0न्या0सं0 ।

06-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. **सत्यम गुप्ता उर्फ बांगडू** पुत्र स्व0 पारस नाथ गुप्ता निवासी SS-1393 , सेक्टर एच, थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष।
   - **शिक्षा-**05th
   - **व्यवसाय-** पुरानी गाड़ियों को खरीदना बेंचना

07-आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सत्युम गुप्ता उर्फ बांगडू के विरुद्ध कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं-

1. मु0अ0स0 1620/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 124/20220 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद
3. मु0अ0स0 227/23 धारा 379/411/420/468/471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद कानपुर नगर
4. मु0अ0स0 734/16 धारा 379/411/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर
5. मु0अ0स0 185/18 धारा 379/411/413/414/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना चिनहट जनपद लखनऊ
6. मु0अ0स0 222/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चिनहट जनपद लखनऊ
7. मु0अ0स0 359/22 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना चिनहट जनपद लखनऊ
8. मु0अ0स0 505/18 धारा 3/25 a.act थाना चिनहट जनपद लखनऊ
9. मु0अ0स0 506/18 धारा 411/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना चिनहट जनपद लखनऊ
10. मु0अ0स0 176/2023 धारा 379/411/413/420/473 भा0द0वि0 थाना विकास नगर जनपद लखनऊ
11. मु0अ0स0 128/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
12. मु0अ0स0 322/22 धारा 120/411/413/414/419/420/467/468/471/484 भा0द0वि0 थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
13. मु0अ0स0 342/23 धारा 379/411/420 भा0द0वि0 थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
14. मु0अ0स0 177/16 धारा 379/411/413 भा0द0वि0 थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ
15. मु0अ0स0 535/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ
16. मु0अ0स0 136/17 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ
17. मु0अ0स0 216/23 धारा 379/411/413/420/473 भा0द0वि0 थाना गोमती नगर विस्तार जनपद लखनऊ
18. मु0अ0स0 308/22 धारा 379/411/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
19. मु0अ0स0 333/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- कोतवाली कृष्णानगर एवं सर्विलांस टीम, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त कार्यवाही।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1665

दिनांक 14.07.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मलिहाबाद

- **01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना मलिहाबाद पुलिस की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या एनबीडबल्यू केस नं0-1699/22 अपराध संख्या 116/20 धारा 138 ईसी एक्ट थाना मलिहाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित गुप्ता पुत्र स्व0 सोहनलाल नि0 कस्बा मिर्जागंज थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष को उसके दुकान स्थित मिर्जागंज से दिनांक 14.07.2025 को गिरफ्तार किया गया, वाराण्टी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त द्वारा बिजली चोरी करना।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण —

1. रोहित गुप्ता पुत्र स्व0 सोहनलाल नि0 कस्बा मिर्जागंज थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष (व्यवसाय-दुकान चलाता है, जिसमें पूजा की सामग्री बेचता है)

04. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री राचन्द्र थाना मलिहाबाद लखनऊ
2. का0 सौरभ शंखवारथाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1663

दिनांक–14-07-2025

पूर्वी जोन/थाना चिनहट

- **नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **नाबालिक लड़की को सकुशल किया गया बरामद।**
- **थाना चिनहट, लखनऊ पुलिस की कार्यवाही।**

कार्यवाही-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-278/25 धारा- 137(2)/87 बी0एन0एस थाना चिनहट जनपद लखनऊ से संबन्धित 01 नफर शातिर अभियुक्त रविन्द्र कुमार उर्फ आर्यन उर्फ राका s/o नरेन्द्र यादव निवासी शाहपुर थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को आनन्द विहार कालोनी सतरिख रोड तिराहे लखनऊ से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.06.25 को वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबन्ध में मु0अ0स0 298/25 धारा-137(2) बीएनएस जनपद लखनऊ बनाम- अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री दुर्वेश बाबू थाना चिनहट द्वारा सम्पादित की जा रही है।

अभियोग में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए दिनांक-14.07.2025 को नाबालिक लड़की को आनन्द विहार कालोनी सतरिख रोड तिराहे थाना चिनहट जनपद लखनऊ के पास से बरामद किया गया तथा दिनांक 14.07.25 को नाबालिक लड़की के बयान से धारा-87 बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त रविन्द्र कुमार उर्फ आर्यन उर्फ राका s/o नरेन्द्र यादव निवासी शाहपुर थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को आन्नद विहार कालोनी सतरिख रोड तिराहे के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अनावरित अभियोग का विवरण:-

01-मु0अ0सं0-278/25 धारा-137(2)/87 बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रविन्द्र कुमार उर्फ आर्यन उर्फ राका s/o नरेन्द्र यादव निवासी शाहपुर थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 दुर्वेश बाबू थाना चिनहट जनपद लखनऊ
02. म0उ0नि0 सरिता यादव थाना चिनहट जनपद लखनऊ
03. का0 विनय शुक्ला थाना चिनहट जनपद लखनऊ
04. का0 योगेश पाल थाना चिनहट जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1667
दिनांक- 14.07.2025

जोन-मध्य/ थाना आलमबाग

- **03 गुमशुदा मोबाईल फोन (कीमत करीब 57,399/- रुपये) बरामद।**
- **बरामद मोबाइल फोन को उनके वास्तविक धारकों के किया गया सुपुर्द ।**
- **थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा लोगों के खोये मोबाइल फोन किये गये बरामद ।**

संक्षिप्त विवरण :–

श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार नागरिकों के खोये हुये मोबाईल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आलमबाग लखनऊ के CEIR पोर्टल पर गुम हुये मोबाईल गुमशुदगी के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सर्विलांस पर लगाकर बरामद किये जाने हेतु पुलिस उपायुक्त, मध्य द्वारा निर्देशित किया गया था ।

उक्त के क्रम मे थाना आलमबाग लखनऊ के **CEIR पोर्टल** पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु श्री अभय प्रताप मल्ल सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट लखनऊ व निरीक्षक सुभाष चन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना आलमबाग लखनऊ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण कर मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मोबाईल धारकों को सुपुर्द किया गया।

अपने खोये हुये मोबाईल फोन को प्राप्त कर मोबाइल धारकों द्वारा पुलिस की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया ।

बरामदगी :-

1. समसंग गैलेक्सी A14 6/128 कीमत लगभग-16,999/- रूपये
2. समसंग गैलेक्सी A04S कीमत लगभग-12500/- रूपये
3. रियलमी 13 प्रो+5G कीमत लगभग-27999/-

बरामद करने वाली पुलिस टीम :–

1. प्र0नि0 सुभाष चन्द्र थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि0 पंकज कुमार थाना आलमबाग लखनऊ
3. कम्प्यू0 आपरेटर जयराम पाल थाना आलमबाग लखनऊ

सलाह / अपील

अगर मोबाइल फोन गुम हो जाये तो ये कदम भी उठाए जा सकते है:-

- सबसे पहले, UPCOP पर LOST ARTICLE पर अपना रजिस्ट्रेशन करे।
- फिर, पुराने सिम को ब्लॉक करने और नया सिम लेने के लिए, नजदीकी सिम सेवा प्रदाता स्टोर पर जाएं
- CEIR पोर्टल पर जाएं और BLOCK STOLEN/LOST MOBILE पर विवरण दर्ज करें।
- फार्म मे पुलिस कंप्लेंट नंबर दर्ज करे।
- अपना नाम, पता, पहचान पत्र और ई मेल आईडी दर्ज करे
- फार्म सबमिट हो जाने के बाद, एक शिकायत आईडी मिलेगी।
- इस आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखे।